

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 31/12/2025

क्रमांक रीडर/2025/10130

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 दीपाराम पुत्र कानाराम
जाति मेघवाल निवासी
उण्डखा तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 मदनसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत वगैराह निवासी
उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-09/2025

दिनांक-23/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा उण्डखा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 673/96 रकबा 1.9668 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी
नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक
हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया
जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी

दिनांक 31/12/2025

क्रमांक :- रीडर/2025/10131-10134

1. प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-तहसीलदार बाड़मेर पालना
प्रस्तुत करते वक्ता पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण दीपाराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।
विप्रार्थीगण मदनसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत वगैराह निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।
- 4.

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी,
बाड़मेर